न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 41/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/86

प्रार्थीगणः–

1. हेमेश बक्षी पुत्र कीर्ति भाई बक्षी जाति जैन निवासी 48, श्रेयांस नगर, पाली
2. विजेशराज पुत्र सुमेरराज जाति जैन निवासी 33, श्रेयांस नगर, पाली
3. महेन्द्र कुमार कुकड़ा पुत्र रतनलाल जाति जैन निवासी 16–17 श्रेयांस नगर, पाली
4. कल्पेश जैन पुत्र सुरेश कुमार जाति जैन निवासी श्रेयांस नगर, पाली
5. राजेन्द्र प्रसाद मेहता पुत्र अभिनन्दनमल मेहता, जाति जैन निवासी 45 श्रेयांस नगर, पाली
6. मूलराजसिंह राठौड़ पुत्र धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी 54, श्रेयांस नगर, पाली
7. अशोक कुमार चौहान पुत्र मोहनलाल जाति दर्जी निवासी 34, श्रेयांस नगर पाली
8. मोहनलाल पुत्र पेमाराम जाति घांची निवासी 36, श्रेयांस नगर पाली
9. सुमेरसिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति राजपुत निवासी आई.पी.जी. की ढाणी गिरादड़ा हाल श्रेयांस नगर पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत मण्डिया, वर्तमान में उक्त पंचायत (मर्ज) नगर परिषद, पाली जरिये आयुक्त नगर परिषद पाली
2. राजुराम सिरवी पुत्र धन्नाराम सिरवी जाति सिरवी निवासी मण्डली खुर्द तहसील व जिला पाली
3. नेमीचंद छाजेड़ (एच.यू.एफ.) पुत्र कानमलजी जाति जैन निवासी मकान नम्बर 8 ओझाजी का बास, पाली तहसील व जिला पाली हाल निवासी ए–36 वीर दुर्गादास नगर, पाली
4. तहसीलदार, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोतीसिंह पुरोहित, श्री मनोज बैरवा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकुल सोनी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/04/2026

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत मण्डिया द्वारा मिसल

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

संख्या 70 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा 17 दिनांक 07.06.1983 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 वक्त बहस अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 501 की भूमि में स्थित है तथा उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकीन गड्ढा दर्ज है, जो कि प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। ग्राम पंचायत ने बिना किसी कोरम के, केवल सरपंच द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पट्टा 100 बाई 100 क्षेत्रफल का निःशुल्क जारी किया है जबकि ग्राम पंचायत को केवल 1350 वर्गफीट तक निःशुल्क पट्टा देने का अधिकार है। जैर निगरानी आराजी पर पट्टाधारक का कभी भी कब्जा नहीं रहा। जैर निगरानी याचिका के लम्बित रहने के दौराने मूल पट्टाधारक से खरीददार नेमीचन्द ने राजस्थान उच्च न्यायालय से तथ्यों को छिपाते हुये निर्माण अनुमति चाही थी, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा कोई मिसल कायम नहीं की गई, कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया गया। पट्टास्थल वर्तमान नक्शे से मेल नहीं खाता है। जब पट्टा बिना किसी वैध अधिकारों के जारी किया गया हो तो उस पट्टे के खरीददार को भी कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं होते है। समय सीमा अवैधानिक आदेश का बचाव नहीं है। वर्तमान में श्रेयांश नगर योजना, जो कि वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर से वर्ष 1983 में अनुमोदित है, के अनुसार इसे ओपन भूमि दर्शायी हुई है एवं वर्तमान में भूमि का वास्तविक स्वरूप बगीचा है, जिसका सार्वजनिक उपभोग हो रहा है। इसी पट्टे सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा निगरानी निर्णित की जा चुकी है, जो प्रार्थीगण की जानकारी में नहीं है क्योंकि उक्त निर्णित प्रकरण में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे। पूर्व के प्रकरण में पक्षकारों का उद्देश्य अलग था तथा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण को उद्देश्य अलग है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण ग्राम के निवासी की हैसियत से पेश हुए है। यदि प्रकरण में समान पक्षकार, समान तथ्य एवं कारण और पूर्व का प्रकरण मेरिट पर निर्णित हुआ हो तो उस पर रेसज्यूडीकेटा लागू होता है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकार भिन्न है तथा उनके तथ्य भी अलग है, साथ ही निर्णय भी मेरिट पर नहीं किया जाकर तकनीकी आधार पर किया है, इसलिये ऐसी स्थिति में रेस्ज्यूडीकेटा लागू नहीं होता है। पंचायती राज की धारा 97 के तहत पट्टे की प्रक्रिया को देखा जाता है, न कि अधिकारों का सृजन। जैर आराजी के सम्बन्ध में सिविल कोर्ट ने केवल दीवार नहीं तोडने की अनुमति प्रदान की है, और उच्च न्यायालय ने फ्रेश प्रार्थना–पत्र पेश करने की छूट के साथ प्रकरण निर्णित किया। किसी वैध अधिकारों के बिना जारी पट्टे पर अधिकारों का सृजन इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई मिसल दर्ज की गई, न ही नक्शा तथा मौका निरीक्षण किया गया, न ही आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त MANU/SC/0192/1994 S.P. Chengalvaraya Naidu by LRs vs Jagannath by LRs and Ors., MANU/RH/0175/1953 Girdharilal vs Denomal, MANU/SC/0078/2011 Jagpal Singh

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

and Ors. vs State of Rajasthan and Ors., Iftikhar Ahmed And Others vs Syed Meharban Ali And Others on 26 Feb. 1974 पेश कर जैर निगरानी पट्टे को खारिज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि से भिन्न भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी पट्टा गैर मुमकीन खड्डा की भूमि में स्थित है। प्रश्नगत पट्टे में वर्णित भूमि का वर्तमान में श्रेयांश नगर निवासियों द्वारा बगीचें के रूप में उपयोग उपभोग किया जा रहा है एवं उक्त योजना वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर द्वारा वर्ष 1983 में अनुमोदित है, जिसमें उक्त भूमि को ओपन लेण्ड के रूप में दर्शाया गया है। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। ग्राम पंचायत ने निगर निगम को जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित कोई रेकर्ड प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम पंचायत को 100 बाई 100 फीट क्षेत्रफल का निःशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 2 से उक्त पट्टे की भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीद कर नगर निगम से निर्माण स्वीकृती जारी करने की मांग की थी, जो कि नगर निगम द्वारा नहीं दी गई, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट संख्या 16430/2024 पेश की गई, जिसमें आयुक्त नगर निगम को दिनांक 21.08.2025 को जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में समस्त पक्षकारों को सुनकर सम्पूर्ण दस्तावेजों के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें प्रश्नगत पट्टे की भूमि खसरा संख्या 501 गैर मुमकीन खड्डे में स्थित होना पाया गया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने खसरा संख्या 501 की भूमि से जैर निगरानी पट्टा राजूराम के पक्ष में जारी किया तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 15.03.2004 से उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 से खरीद की। नगर निगम ने उक्त भूमि पर बनी मेरी बाउण्ड्री की दिवार को तोड़ने की कोशिश की तब अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में दावा पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2006 के जरिये खारिज किया गया, जिसकी अपील माननीय जिला न्यायालय में की गई और माननीय न्यायालय ने सिविल न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये बाउण्ड्री की दिवार को नहीं तोड़ने के आदेश दिये। साथ ही उक्त प्रकरण में नगरपरिषद ने ग्राम पंचायत मण्डिया द्वारा जारी पट्टों के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं होने का कथन किया है। नगर परिषद ने मेरी अनुमति का प्रार्थना–पत्र को दिनांक 09.06.2006 को खारिज किया जिसके सम्बन्ध में धारा 170 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर, पाली में प्रार्थना–पेश किया, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2007 को स्वीकार करते हुये नगरपरिषद के आदेश दिनांक 09.06.2006 को अपास्त किया। इस दौरान वर्ष 2007 में जैर निगरानी पट्टे को खारिज करवाने हेतु न्यायालय जिला कलक्टर पाली में निगरानी पेश की गई, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2007 को खारिज किया गया उक्त आदेश की कही पर भी अपील नहीं की गई। हस्तगत निगरानी में केवल पक्षकार भिन्न है परन्तु प्रकरण की विषयवस्तु एक समान है, इसलिये उक्त प्रकरण में रेस्ज्युडिकेटा लागू होगा। यदि किसी समान विषयवस्तु पर आधारित प्रकरण में पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है तो उसी

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

धारा के तहत पुनः कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत मण्डिया द्वारा मिसल संख्या 70 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा 17 दिनांक 07.06.1983 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा निगरानी याचिका खारिज किया है, इसलिये उक्त प्रकरण पर रेस्ज्युडिकेटा लागू होता है। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि पूर्व में प्रस्तुत निगरानी याचिका में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे और वर्तमान प्रकरण के तथ्य पूर्व के प्रकरण से भिन्न थे। हस्तगत प्रकरण में यह विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या हस्तगत वाद पर Res Judicata का सिद्धान्त लागू होता है अथवा नहीं। Res Judicata का अर्थ है कि : एक ही विषय, एक ही पक्षकारों (या उनके प्रतिनिधियों) के बीच, सक्षम न्यायालय द्वारा पहले ही अंतिम रूप से तय हो चुका हो, तो उसी मुद्दे पर पुनः वाद नहीं चल सकता, यह सिद्धान्त सीपीसी की धारा 11 में निहित है। इस सम्बन्ध में अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि पूर्व में न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 11/2005 अनवान पन्नाराम व अन्य बनाम राजाराम व अन्य में दिनांक 28.04.2007 को विवादित पट्टा संख्या 12 के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में भी वर्तमान प्रकरण की भाँति उसी पट्टे को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया था तथा उसके समर्थन में लिए गए आधार भी मूलतः समान थे। यह तथ्य भी अभिलेख से परिलक्षित होता है कि पूर्व प्रकरण सक्षम न्यायालय द्वारा विचाराधीन रहा एवं उस पर निर्णय पारित किया गया, जिसे किसी सक्षम उच्चतर न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई। फलस्वरूप उक्त निर्णय को विधि की दृष्टि में अन्तिमता प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व निर्णय मेरिट पर पारित नहीं हुआ था एवं वर्तमान प्रार्थीगण पूर्व प्रकरण में पक्षकार नहीं थे तथापि निर्णय दिनांक 28.04.2007 में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह पाया कि अप्रार्थी ने पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भूमि का विक्रय किया और उक्त विक्रय उप–पंजीयक, पाली में दिनांक 15.04.2004 को पंजीकृत हो चुका था, साथ ही न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया कि जैर निगरानी से सम्बन्धित रेकर्ड नगर परिषद (वर्तमान नगर निगम) और विकास अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः बिना अभिलेखों के विक्रय विलेख की वैधता पर कोई नया निर्णय करना सम्भव नहीं था। वर्तमान प्रार्थीगण ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व निर्णय केवल तकनीकी आधार पर पारित हुआ, पक्षकार भिन्न है और विषयवस्तु भी अलग है, किन्तु अभिलेखों और निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व निर्णय केवल maintainability या procedural त्रुटि पर आधारित नहीं था, बल्कि merits और साक्ष्यों के आधार पर पारित किया गया था, जिससे यह निर्णय न केवल अन्तिम था, बल्कि Res Judicata की धाराओं के अनुसार बाध्यकारी भी है। साथ ही न्यायालय मतानुसार जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी विवादित विषय पर विचार कर निर्णय पारित कर दिया जाता है तथा उसे चुनौती नहीं दी जाती, तो वह निर्णय उसी विषय के सम्बन्ध में पुनः विचारणीय नहीं रह जाता। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रार्थीगण उसी पट्टे और उसी अधिकार/हित के तहत दावा कर रहे है, अतः वे पूर्व निर्णय के privies माने जाएंगें और

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

उनके द्वारा जिस अनुतोष की मांग की गई है तथा जिन आधारों पर वह आधारित है, वे पूर्व प्रकरण से पूर्णतः समान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद मूलतः उसी विवाद की पुनरावृत्ति है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि Section 11, Civil Procedure Code, 1980 के अन्तर्गत एक ही विषय पर बार–बार वाद प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है तथा ऐसे वादों पर रोक लगाना आवश्यक है ताकि न्यायालय के समय का संरक्षण हो एवं वादों का अन्तिम निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के सम्यक् विश्लेषण के उपरान्त यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है तथा उसी विषय पर पुनः विचार किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि ये प्रकरण या तो Fraud, केवल technical dismissal या substantive अधिकार से सम्बन्धित है और वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते, क्योंकि पूर्व निर्णय merits पर आधारित, अन्तिम और सक्षम न्यायालय द्वारा पारित था।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Burn & Co. v. Their Employees (1) में यह प्रतिपादित किया कि ".....That would be contrary to the well-regognised principle that a decision once rendered by a competent authority on a matter in issue between the parties after a full enquiry should not be permitted to be re-agitated. It is on this principle that the rule of res judicata enacted in Section 11, Civil P.C is based. That section, is no doubt in terms inapplicable to the present matter, but the principle underlying it expressed in the maxim. "interest rei publicae ut sit finis litium", is founded on sound public policy and is of universal application... "The rule of res judicata is dicated"..... "by a wisdom which is for all time." इसी प्रकार का दृष्टिकोण Workman of the Straw Board Manufacturing Co. Ltd. v. Straw Board manufacturing Co. Ltd. (2) के प्रकरण में भी अपनाया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्त किया कि ".....It is now well established that, although the entire CPC is not applicable to industrial adjudication, the principles of res judicata laid down u/s 11 of the Code of Civil Procedure, however, are applicable, wherever possible, for every good reasons. This is so since multiplicity of litigation and agitation and re-agitation of the same dispute at issue between the same employer and his employees will not be conducive to industrial peace which is the principal object of all labour legislation bearing on industrial adjudicaiton...." साथ ही न्यायिक दृष्टान्त (2003) 2 DNJ 598 Tribhuwan k. pandia vs Industrial Tribunal And Others में यह अभिनिर्धारित किया कि "..... In my opinion also, the second writ petition is not maintainable because of the simple reason that if second writ petition is found maintainable, it would render the order of the same court dismissing the earlier writ petition redundant and negatory. Further more, it would result in giving full scope and encouragement to an unscrupulous litigant to abuse the process of the High Court exercising its writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution in that any order of any Bench of such Court refusing to entertain a writ petition could be ignored by him with impugnity and the relief sought in the same matter by filing a fresh writ petition. This would only lead to introduction of disorder, confusion and chaos relating to exercise

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

of writ jurisdiction of judges of the High Court, for there could be no finality for an order of the Court refusing to entertain a writ petition. It is why the rule of judicial practice and procedure that a second writ petition shall not be entertained by the High Court on the subject matter respecting that the writ petition of the same person was dismissed by the same court even if the order of such dismissal was in limine, be it on the ground of laches or on the ground of non-exhaustion of alternative remedy, has come to be accepted and followed as salutory rule in exercise ot writ jurisdiction of the court. Thus, in view of above, the present second writ petition is not maintainable at all and deserves to be dismissed on the ground of non-maintainability. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त Daryao vs State of U.P., Satyadhyan Ghosal vs Deorajin Debi, Forward Construction Co. vs Prabhat Mandal, Hope Plantations Ltd. vs Taluk Land Board, State of U.P. vs Nawab Hussain, Lonankutty vs Thomman के प्रकरणों में प्रतिपादित किया गया है, जिनके अनुसार एक ही विषय पर पुनः वाद प्रस्तुत करना विधिसम्मत नहीं है।

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक ही विषय वस्तु पर समान तथ्यों एवं समान आधारों पर पुनः वाद प्रस्तुत करना अनुमन्य नहीं है। यह सिद्धान्त न्यायिक प्रक्रिया की अंतिमता एवं स्थिरता को सुनिश्चित करता है, जिससे एक ही विवाद पर बार–बार न्यायालय का समय व्यर्थ न हो तथा पक्षकारों का अनवाश्यक रूप से पुनः वाद–विवाद में न उलझाया जाए। उपरोक्त सिद्धान्तों के आलोक में वर्तमान प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह मूलतः पूर्व में निर्णयित प्रकरण की पुनरावृति मात्र है। वर्तमान वाद में विवाद का विषय, प्रस्तुत किए गए तथ्य, तथा मांगा गया अनुतोष, सभी पूर्व प्रकरण के समान हैं। साथ ही, पूर्व प्रकरण में पारित निर्णय अंतिम हो चुका है तथा उसके विरूद्ध किसी प्रकार की अपील या पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत नहीं की गई हैं। अतः यह प्रत्यक्ष है कि हस्तगत प्रकरण रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से पूर्णतः प्रभावित है। इस सिद्धान्त के अनुसार, जिस विषय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिया जा चुका हो, उस पर पुनः वाद विचारणीय नहीं होता। उपर्युक्त परिस्थितयों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत निगरानी याचिका, समान आधारों एवं तथ्यों पर पुनः प्रस्तुत की गई है, जो विधि की दृष्टि से ग्राह्य नहीं है। फलस्वरूप, हस्तगत याचिका विचारणीय नहीं होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत मण्डिया द्वारा मिसल संख्या 70 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा 17 दिनांक 07.06.1983 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)